

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतविधिको गैर-कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार देता है। अगर सरकार किसी गतविधिको गैरकानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राज-पत्र में प्रकाशित करके इसे आधिकारिक रूप से गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।
- UAPA के तहत जाँच एजेंसी गरिफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखल कर सकती है तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर समान तरह से लागू होता है भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
- इसमें मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास सबसे कठोर दंड हैं।
- **संबंधित नरिणय:**
 - **अरुण भुइयाँ बनाम असम राज्य (2011) मामले** में उच्चतम न्यायालय ने नरिणय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से कोई कार्य करता है।
 - हालाँकि, वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे संगठनों में केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है, भले ही वह प्रत्यक्ष हिंसा में शामिल न हो।
 - **पीपुल्स यूनिन फॉर सविलि लबिर्टीज़ बनाम भारत संघ (2004) मामले** में, न्यायालय ने नरिणय दिया कि यदि आतंकवाद से मुकाबले के प्रयासों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो यह आत्म-पराजय की स्थिति होगी।
 - न्यायालय ने माना कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना बेहतर नरिणय नहीं है क्योंकि उनका अनुभव मानवाधिकारों की रक्षा एवं प्रचार करने के बजाय अपराधों की जाँच से अधिक संबंधित है।
 - **मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) मामले** में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कृत्यों के वरिद्ध आवाज़ उठाना वैध है। हालाँकि ऐसे विरोध प्रदर्शन और सभाओं को शांतपूरण एवं अहसिक/नरिायुध होना चाहिये।
 - **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2017 मामले** में जमानत आवेदनों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि जमानत मानक आधार होनी चाहिये तथा कारावास को एक दुर्लभ अपवाद के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिये।
 - **NIA बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली, 2019** में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायालयों को सबूतों में गहराई से न जाते हुए UAPA से संबंधित जमानत आवेदनों पर नरिणय लेते समय राज्य के मामले को भी आधार बनाना चाहिये।

UAPA से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **कम दोषसिद्धि दर:** NCRB के आँकड़ों के अनुसार, UAPA के तहत लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या में दोषसिद्धि दर कम है।
 - UAPA के केवल 18% मामलों में ही दोषसिद्धि होती है, हालाँकि लंबित मामलों की दर 89% है।
- **व्यक्तिपरक व्याख्या:** गैरकानूनी गतविधियों की अस्पष्ट परिभाषा व्यक्तिपरक व्याख्याओं की अनुमति देती है, जिससे यह विशिष्ट समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ उनकी पहचान या विचारधारा के आधार पर संभावित दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- **सीमित न्यायिक समीक्षा:** वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को किसी भी **न्यायिक समीक्षा** के बगैर व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से नामित किये जाने की संभावना के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **हरिसत संबंधी नयिम:** UAPA में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर बिना आरोप लगाए 6 माह तक हरिसत में रखने की अनुमति है। यह नयिमिति अपराधिक विधि के बलिकुल विपरीत है, जो जमानत मांगने से पूर्व केवल 3 माह की पूर्व-आरोप अवधि की अनुमति देता है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** यह विधि संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति, सभा और संघ के आवश्यक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
 - यह असहमति व्यक्त करने और विरोध करने को अवैध बनाता है, इसका इस्तेमाल अधिविक्तियों, पत्रकारों, छात्रों तथा हाशिये पर पड़े समुदायों को नशाना बनाने हेतु किया जा सकता है जो अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं।

आगे की राह

- **विधिका इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में करना:** यह सुनिश्चित करें कि UAPA कानून का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, न कि सुरक्षा संकट या सामाजिक अशांति से निपटने के लिये पहली प्रतिक्रिया के रूप में।
 - UAPA कानून का इस्तेमाल विधि सम्मत, आलोचना या विरोध को दबाने या नागरिकों, पत्रकारों, शक्तिवादियों या मानवाधिकार रक्षकों को परेशान करने, डराने या चुप कराने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
 - सरकार को सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये तथा उनकी रक्षा करनी चाहिये एवं संघर्षों और शकियतों के समाधान करने के लिये संवाद, बातचीत व सुलह का प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिये।
- **संशोधन की आवश्यकता:** "गैरकानूनी गतविधि" और "आतंकवादी कृत्य" की परिभाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, ताकि विशेष रूप से शांतपूरण विरोध प्रदर्शन, भनिन दृष्टिकोण तथा वैचारिक अभिव्यक्ति जैसी संवैधानिक रूप से संरक्षित गतविधियों को इससे पृथक रखा जा सके।
 - वर्तमान परिभाषाएँ अत्यधिक अस्पष्ट, व्यापक होने के साथ ही व्याख्या के लिये खुली हैं, जिससे सरकार को आपतजनक लगने वाली किसी भी कार्रवाई को संभावित रूप से अपराध घोषित करने की अनुमति मिलती है।
 - जैसा कि भकबूल फदिा हुसैन [2][2][2] राजकुमार पांडे, 2008 के मामले में नरिणित किया गया है, अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- **गैर-पक्षपातपूर्ण समीक्षा तंत्र:** कुछ समूहों या व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने अथवा उन्हें गैरकानूनी या आतंकवादी करार देने के सरकारी नरिणयों की समीक्षा के लिये एक प्रणाली नरिमिति की जानी चाहिये। यह प्रणाली स्वतंत्र एवं नष्पिक्ष होनी चाहिये, जिससे सरकार के कार्यों की नगरिानी के साथ-साथ चुनौती भी दी जा सके।

